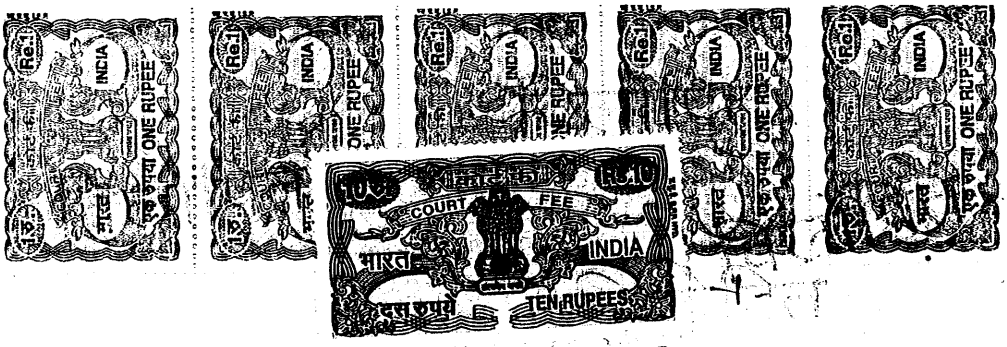

48

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 निगरानी R 3930-II/14

1- दमयन्ति जैन पत्नी योगेश शाह आयु 52 साल
निवासी- लीलाधर मंडी, मार्ग स्वरूप नगर गंज बासौदा

2- पुरूषोत्तम आसोपा पुत्र नंदलाल आसोपा, आयु45 साल, निवासी माल रोड गंज बासौदा विदिशा

3- श्रीमती आशादेवी पत्नी श्री प्रकाश आयु 56साल
निवासी- बेरछ रोड गंज बसौदा विदिशा

4- प्रकाशभास्कर पुत्र श्री चिरौंजीलाल आयु 60 साल
निवासी बेरछ रोड, गंज बासौदा विदिशा

5- विजय भास्कर पुत्र चिरौंजीलाल, आयु 50 साल
निवासी -बूंदी पुरा गंज बासौदा विदिशा

6- कुसुमबाई पुत्री चिरौंजीलाल आयु निवासी- एमपीई बी ऑफिस कैम्पस, बेरछा रोड शाजापुर

7- सरोज पत्नी सतेन्द्र नरेन्द्र भास्कर निवासी - 218/3 मोती बंगला देवास म.प्र.--- आवेदकगण

संजय शर्मा एडवोकेट 26.11.14 को
[signature] 26/11/14

[signature] संजय शर्मा

बनाम

1- कैलाशचंद पुत्र हजारीलाल जैन

2- वंदना जैन पत्नी कैलाशचंद जैन निवासीगण- ए- 26, इन्द्रपुरी रायसेन रोड भोपाल म.प्र.

3- मध्य प्रदेश शासन जरिये कलेक्टर विदिशा म.प्र.

--अनावेदकगण

[signature] 26/11/2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्र भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.14 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बासौदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 74/13-14 अपील कैलाशचंद बनाम दमयान्ति आदि मे पारित आदेश के विरूद्ध ।

श्रीमानजी,

[signature]

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

....

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 3930/ ।।/2014 निगरानी जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-2-2017	आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रेश श्रीबास्तव उपस्थित। आवेदकगण द्धारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बासौदा, जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 74/अपील/2013-14 में पारित अन्तिरिम आदेश दिनांक 27-10-2014 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता-1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॅाश यह है कि, ग्राम बेहलोट तहसील बासौदा जिला बिदिशा के आराजी कमांक 3/3 मिन रकवा 0.923 हैक्टर तथा आराजी कमांक 4/2 क मिन 2 रकवा0.331 हैक्टर अनावेदक कमांक-1 द्वारा एवं आराजी कमांक 3 रकवा 1.704 हैटर मेंसे 0.627 हैक्टर भूमि अनावेदक कमांक-2 द्वारा आवेदक कमांक 3 तथा 4 लगायत 7 की मॉ आशादेवी एवं राजकुमारी से जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 14-6-2004 को कय की गई। विकेता द्वारा उक्त भूमि पर पहुचने के लिए स्वंय की भूमि में से रास्ते के लिए 20 फुट चौडी भूमि छोडी गयी थी तथा विकय पत्र में लेख किया गया कि इस रास्ते की भूमि पर भविष्य मे कोई विकय नहीं किया जावेंगा। इस कारण विकेता का रास्ते के लिए छोडी गयी भूमि का विकय अधिकार समाप्त हो गया था। किंतु विकेता आशादेवी एवं राजकुमारी द्वारा दिनांक 8-5-2008 को रास्ते के लिए छोडी गयी भूमि का आवेदक कमांक-2 को विकय	

कर दिया गया तथा केता द्वारा उक्त विवादित भूमि पर अनावेदक कमांक–1 व 2 की जानकारी के विना नामांतरण पंजी कमांक 173 दिनांक 5–6–2008 को अपने पक्ष में नामान्तरण करा लिया गया। इसके पश्चात आवेदक कमांक–2 द्वारा बिना किसी अधिकार एवं स्वत्व के उक्त विवादित भूमि का विकय आवेदक कमांक–1 के पक्ष में दिनांक 9–3–2013 को जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा किया गया। जिसके आधार पर आवेदक कमांक–1 द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 460 दिनांक 26–6–2013 से नामान्तरण करा लिया गया। जिसके विरूद्ध अनावेदक कमांक–1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समय वाधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 74/अपील/2013–14 पर दर्ज की जाकर उक्त अपील को अपने अन्तिरिम आदेश दिनांक 27–10–2014 के द्वारा अपील में हुआ बिंलव क्षमा किया जाकर समय अवधि मान्य की जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया। आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायलय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि,अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अनावेदक कमांक–1 व 2 को अपील प्रस्तुंत करने की अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि अनावेदक विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इस कारण उनको प्रथक से अनुमति लेना आवश्यक था।

उनका तर्क यह भी है कि, न्याय का यह प्रतिपादित सिद्धान्त है कि, धारा–5 अवधि विधान अधिनियम के आवेदन में बिंलव

माफी हेतु दिन प्रतिदिन का ब्योरा मय दस्तावेजो एवं साक्ष्य सिद्ध करना आवश्यक होता है किंतु धारा–5 के आवेदन में अनावेदक क्रमांक–1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में बिंलव का काई कारण दर्शित नहीं किया है। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नजर अंदाज करते हुए बिंलम माफ करने में अनियमितताए की गई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का ओदश निरस्त किये जाने योग्य है। अतं में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्रमांक–1 व 2 सूचना उपरान्त अनुपस्थित। अनावेदक क्रमांक–3 की ओर से शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित उनके द्वारा तर्क दिया गया कि अभी प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अन्तिम वहस हेतु नियत है इस कारण उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एंव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक–1 व 2 द्वारा नामान्तरण पंजी के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बिलम्व से अपील प्रस्तुत की गयी अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ म0प्र0 भू राजस्व संहिता–1959 की धारा– 5 म्याद अधिनियम का आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अनावेदक क्रमांक–1 व 2 को नामान्तरण आदेश की जानकारी पटवारी द्वारा दिनांक 24–3–2014 को प्राप्त हुई है तथा दिनांक 26–3–2014 को

नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसमे नामान्तरण पंजी कमांक 460 दिनांक 26–4–2013 को प्राप्त हुई तथा दूसरी नामान्तरण पंजी 173 दिनांक 5–6–2008 की सत्यप्रतिलिपि हेतु दिनांक 2–4–2014 को आवेदन प्रस्तुत किया जाने पर उसी दिनांक को नकल प्राप्त हुई उक्त दोनों नकल प्राप्त होने पर अनावेदक कमांक–1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई अपील प्रस्तुत करने में जो बिलम्व हुआ है वह नामान्तरण पंजी की जानकारी न होने के कारण हुआ है। जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा क्षमा किया जाकर अपील समय अवधि में मान्य किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस कारण उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तथा अनुविभागीय अधिकारी, बासौदा के प्रकरण कमांक 74/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–10–2014 विधि सम्मत होने से स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो, प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर